न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
म्यूटेशन एक्ट वाद संख्या–02/2014
राम सुफल मुखिया बनाम विजय साह एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
19/03/15		

आदेश

अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा विविध अपील वाद संख्या–44/2012–13 विजय साह बनाम सरकार छोटी यादव एवं अन्य में दिनांक–06.09.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण वाद आवेदन दाखिल किया गया है जिसे प्रतिग्रहित कर अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध करते है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से दाखिल प्रस्तुत वाद आवेदन चलने योग्य नही है। प्रस्तुत वाद अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा विविध अपील वाद संख्या–44/2012–13 विजय साह बनाम सरकार छोटी यादव एवं अन्य में दिनांक–06.09.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी है। बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम–2011 की धारा–08 के अन्तर्गत समाहर्त्ता/ अपर समाहर्त्ता को रीविजन की शक्ति प्रदत्त है जिसके तहत पारित आदेश के विरूद्ध वाद दायर करने की शक्ति इस न्यायालय को प्रदत्त नही की गयी है। इस प्रकार अपर समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध वाद दायर करने का यह सक्षम न्यायालय नही है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस संबंध में न तो अधिनियम की धारा का उल्लेख आवेदन में किया गया है, और न ही बहस के दौरान स्थिति स्पष्ट की गयी है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन इस न्यायालय में विचारण योग्य नही है।

अतएव आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन पर किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे रहने के कारण आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदक यदि चाहें तो सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते है।

19/3/15

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।